अपील संख्या 141/2024
बअनवान कमलसिंह वगैरह बनाम सांगसिंह वगैरह

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./141/2024/बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
1. कमलसिंह पुत्र बाला उर्फ बालिया 2. भोजराजसिंह पुत्र बाला उर्फ बालिया 3. मगसिंह पुत्र बाला उर्फ बालिया 4. कंवरू पत्नी बाला उर्फ बालिया, निवासी बलदेव नगर, बाड़मेर, तह. व जिला बाड़मेर। 5. पप्पू पत्नी बाला उर्फ बालिया फौत के का. मु.– 5/1. जसवंतसिंह पुत्र जेठुसिंह 5/2. नखतसिंह पुत्र जेठुसिंह, निवासी नेहरू नगर बाड़मेर, तह. व जिला बाड़मेर। 5/3. संजु कंवर पुत्री पप्पु कंवर पत्नी जेठूसिंह, निवासी शिव, तहसील शिव, जिला बाड़मेर। 6. मीना कंवर पुत्री बाला उर्फ बालिया, निवासी बलदेव नगर, बाड़मेर, तह. व जिला बाड़मेर। 7. सुन्दर कंवर पुत्री बाला उर्फ बालिया, निवासी बोथिया, तह. बाड़मेर ग्रामीण, जिला बाड़मेर। 8. तनसिंह पुत्र सुजानसिंह, निवासी नेहरू नगर, बाड़मेर, तह. व जिला बाड़मेर। 9. मोतीसिंह पुत्र मूलसिंह 10. गेमरसिंह पुत्र मूलसिंह 11. सवाईसिंह पुत्र मूलसिंह 12. दुर्जनसिंह पुत्र मूलसिंह 13. प्रेमसिंह पुत्र मूलसिंह, निवासी लक्ष्मी नगर, बाड़मेर, तह. व जिला बाड़मेर। 14. धर्मसिंह पुत्र रणछोड़सिंह फौत के का. मु.– 14/1. सरूप पुत्र धर्मसिंह 14/2. गीता पत्नी धर्मसिंह 15. पूरसिंह पुत्र रणछोड़सिंह के का. मु.– 15/1. गोमी कंवर पत्नी पूरसिंह 15/2. जुंजारसिंह पुत्र पूरसिंह 15/3. दलपतसिंह पुत्र पूरसिंह 15/4. लाभूसिंह पुत्र पूरसिंह, निवासी जयसिन्धर गांव तह. गडरारोड़, जिला बाड़मेर।	1. सांगसिंह पुत्र मुका उर्फ, जाति रावणा राजपूत, निवासी बापू नगर, जयसिंधर स्टेशन, तह. गडरारोड़, जिला बाड़मेर। 2. जसवंतसिंह पुत्र गगु 3. बच्ची पत्नी गगु 4. देवा पुत्र भगता उर्फ बगता 5. विरधा पुत्र भगता उर्फ बगता 6. देरावर पुत्र भंवरा 7. कल्याण पुत्र भंवरा 8. भगवानां पुत्र भंवरा 9. नेनू पत्नी भंवरा 10. सांवलसिंह पुत्र जोरा उर्फ जोरावरसिंह के का. मु.– 10/1. भोजराजसिंह पुत्र सांवलसिंह 10/2. परशुसिंह पुत्र सांवलसिंह 10/3. प्रेमसिंह पुत्र सांवलसिंह 10/4. भीखसिंह पुत्र सांवलसिंह 11. कल्याण पुत्र कचरा 12. डूंगरा पुत्र कचरा 13. कृपा पुत्र कचरा 14. रूगा पुत्र कचरा 15. मदन पुत्र कचरा, निवासी जयसिंधर गांव, तह. गडरारोड़, जिला बाड़मेर। 16. प्रेमसिंह पुत्र सुजानसिंह 17. बाबुसिंह पुत्र सुजानसिंह, निवासी नेहरू नगर, बाड़मेर, तह. व जिला बाड़मेर। 18. राज. राज्य जरिये तहसीलदार गडरारोड़।

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

16. श्रवणसिंह पुत्र रणछोड़सिंह 17. शेणसिंह पुत्र चन्दनसिंह के का. मु.— 17/1. उगमसिंह पुत्र शेणसिंह 17/2. कल्याणसिंह पुत्र शेणसिंह 17/3. जोगराजसिंह पुत्र शेणसिंह 17/4. दरिया देवी पत्नी शेणसिंह, निवासी जयसिंधर गांव, तह. गड़रारोड़, जिला बाड़मेर।	

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 09/2021 बउनवान सांगसिंह बनाम कमलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2024 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थितिः—

1. वकील श्री भगवानदास गोयल अपीलांट की ओर से।
2. वकील श्री सोहनलाल चौधरी उतरदाता संख्या 01, 02 व 05 की ओर से।
3. शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः—19.08.2025

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम बापू नगर, पटवार हल्का जयसिंधर, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 911 रकबा 86.06 बीघा, खसरा संख्या 561 रकबा 605.18 बीघा भूमि आई हुई है। जिसका सेटलमेंट में चिमाजी के वारिसान के नाम पर्चा लगान जारी होकर खतौनी बन्दोबस्त में नाम दर्ज हुआ तथां सेटलमेंट के ग्राम जयसिंधर वर्तमान राजस्व ग्राम बापू नगर के खेत खसरा संख्या 561 रकबा 605.18 बीघा चिमाजी की संयुक्त कब्जे की भूमि होने से वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान चिमाजी के वारिसान व चांदाजी के नाम जारी होकर खतौनी बन्दोबस्त में 1/2—1/2 हिस्से दर्ज हो गये थे। खसरा संख्या 911 रकबा 86.06 बीघा में खतौनी बन्दोबस्त अनुसार चिमाजी के चार पुत्र आम्बा, मुका, जोरा व बगता का प्रत्येक का हिस्सा 1/4—1/4 खातेदारी में होता है, इस प्रकार मुका के 1/4 हिस्से में मुक्का के वारिस के रूप में रेस्पोडेन्ट सांगसिंह का 1/8 हिस्सा होता है। उपर्युक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आदेश में बिना तनकीयात कायम किये व बिना अपीलांट को सुने ही वादी/रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर किये बिना व अपीलांट से आपत्ति लिये बिना ही अपीलाधीन निर्णय व अंतिम डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 01/वादी ने अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आशय का पेश किया कि राजस्व ग्राम बापू नगर, पटवार हल्का जयसिंधर, तहसील गडरारोड़, जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 911 रकबा 86.06 बीघा, खसरा संख्या 561 रकबा 605.18 बीघा भूमि आई हुई है। जिसका सेटलमेंट में चिमाजी के वारिसान के नाम पर्चा लगान जारी होकर खतौनी बन्दोबस्त में नाम दर्ज हुआ तथा सेटलमेंट के ग्राम जयसिंधर वर्तमान राजस्व ग्राम बापू नगर के खेत खसरा संख्या 561 रकबा 605.18 बीघा चिमाजी की संयुक्त कब्जे की भूमि होने से वक्त सेटलमेंट पर्चा लगान चिमाजी के वारिसान व चांदाजी के नाम जारी होकर खतौनी बन्दोबस्त में 1/2-1/2 हिस्से दर्ज हो गये थे। खसरा संख्या 911 रकबा 86.06 बीघा में खतौनी बन्दोबस्त अनुसार चिमाजी के चार पुत्र आम्बा, मुका, जोरा व बगता का प्रत्येक का हिस्सा 1/4-1/4 खातेदारी में होता है, इस प्रकार मुका के 1/4 हिस्से में मुक्का के वारिस के रूप में रेस्पोडेन्ट सांगसिंह का 1/8 हिस्सा होता है। लेकिन अपीलाधीन आदेश बिना तनकीयात का हवाला दिये ही पारित किया गया है। वाद में जो खानदानी सजरा पेश किया गया था उसमें भी विरोधाभास होने के बावजूद भी अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी/अपीलांट द्वारा दिनांक 02.05.2013 को जवाब पेश किया गया था उसके अपीलाधीन आदेश में कहीं कोई हवाला नहीं दिया गया है। अपीलांट द्वारा पेश जवाब से बाले-बाले अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि के प्रावधानों के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट को बिना सुनवाई सबूत का अवसर दिये बाले-बाले ही पारित की गई। जो पूर्णतया त्रुटिपूर्ण एवं मिलावट युक्त आदेश है। रेस्पों. संख्या 01 राजकीय कर्मचारी है जिसका हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पर कभी भी कोई कब्जा–काश्त नहीं रहा है। प्रस्तुत सजरा में वर्णित वंशवृक्षावली में मलसिंह नहीं होकर सांवतसिंह थे। प्रस्तुत सजरा का वक्त सेटलमेंट की स्थिति से कोई लेना–देना कतई नहीं है। चिमाजी वक्त सेटलमेंट से भी करीब 30–40 वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे। तथा आम्बा, मुका व जोरा पि. चिमाजी ही सेटलमेंट से 15–20 वर्ष पूर्व फौत हो चुके थे। कचरा, वालिया, भंवरा, बगता तथा चन्दा की पट्टा (लगान) अदा कर प्राप्त उक्त स्वअर्जित सम्पत्ति के संबंध में उक्त पूर्ण व अशुद्ध तथा गलत सजरा एवं हिन्दू विधि के प्रावधान के विपरीत पेश किया गया था। जिसको आधार मानते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन प्रकरण में दो बार तनकीयात बनाई जाती है किन्तु उक्त तनकीयात का अपीलाधीन आदेश में वर्णन नहीं किया गया है। पृष्ठ संख्या 43 पर बनाई गई तनकीयात पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर तक नहीं है तथा द्वितीय तनकीयात किस दिनांक को जारी की गई, उक्त दिनांक का कॉलम खाली है। जिससे अपीलाधीन आदेश दुर्भावना से ग्रसित होना प्रतीत होता है। अपीलांट संख्या 14 अपील निर्णय के दिन मरणासन्न उपचाराधीन अस्पताल में था, जिसका देहान्त हो गया। जिससे अपीलाधीन आदेश मृत व्यक्ति के विरूद्ध पारित किया गया है। जो विधि द्वारा बाधित है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट को सुने बिना ही पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 का प्रतिवादी संख्या/अपीलांट संख्या 05 पप्पु कंवर की फौत की सूचना रिकार्ड पर ली जाकर वकील द्वारा पेश वकालतनामा शामिल पत्रावली करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को स्वीकार कर वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 04.07.2024 को नियत की जाती है। नियत दिनांक को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्यों में व्यस्त होने का उल्लेख करते हुए दिनांक 11.07.2024 को अंतिम निर्णय में पारित कर दिया जाता है। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश अपीलांट संख्या 01 को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे एवं पत्रावली को पुनः विधि अनुसार निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड किया जाने का आदेश प्रदान करावें।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय हस्तगत प्रकरण को अनेकों बार प्रतिवादी के साक्ष्य में रखा गया। जिस पर प्रतिवादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत किया जिस पर विधि अनुसार

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

वर्णन करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वकील रेस्पों. ने निवेदन किया कि मलसिंह के दो पुत्र चिम्माजी एवं चन्दाजी थे। चिम्माजी के चार पुत्र आम्बा, मुका, जोरा व बगता थे। चिम्माजी के पुत्र आम्बा, मुका व जोरा सेटलमेंट से पूर्व फौत हो गये थे। आम्बा के पुत्र कचरा, मुका के पुत्र वालिया, जोरा के पुत्र भंवरा बालिग थे। वादी/रेस्पों. संख्या 01 मुका का पुत्र है। मुका का पुत्र वालिया जो वक्त सेटलमेंट मुका के परिवार का मुखिया व कर्ता–धर्ता था जिसने मुका के वारिस के रूप में सेटलमेंट के समय राजस्व कर्मचारियों से मिली–भगत करते हुए वादी/रेस्पों. के हक–हिस्सों से विपरीत जाकर वादी के खातेदारी अधिकार को खत्म कर दिया जिसका उसको कोई अधिकार नहीं था। जबकि वादी/रेस्पों. संख्या 01 का बतौर मुका के वारिस के रूप में खातेदार दर्ज होना चाहिए था। वादी तत्समय नाबालिग था। वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की पैतृक एवं पुश्तैनी सहदायिकी सम्पत्ति है। जो मुका से विरासत में प्राप्त हुई है जिसमें वादी/रेस्पों. संख्या 01 का जन्म से ही हक निहित था। उक्तानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूर्णतय विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है। उसमें किसी तरह की कमी नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में अपीलांटस को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलांटस को सांक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। वकील अपीलांट के कथनानुसार एवं दस्तावेज अनुसार अपीलांट द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत जवाबदावा का उल्लेख किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है। जबकि विधि अनुसार दाव व प्रतिदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए विधि संगत निर्णय पारित किया जाना चाहिये था जिसका हस्तगत अपीलाधीन आदेश में अभाव प्रतीत होता है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय का यह दायित्व था कि वह अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत जबाव पर उभयपक्ष को सनने के बाद ही प्रकरण में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जानी चाहिये थी। विचारण न्यायालय ने मूल वाद में प्रतिवादी पक्ष को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया। हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी को प्रतिरक्षा एवं प्रतिपरीक्षा दोनों का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। मात्र प्रक्रियात्मक आधार पर ही अपीलांटगण को उसे विधिक अधिकारों से वंचित किया गया है जो कि न्याय के सारभूत सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अपीलांट अपीलाधीन आराजी का खातेदार दर्ज

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अतः अभिलेख पर प्रकट इन सब तथ्यों को देखते हुए अपीलांटगण की अपील को वाद अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के विचारण हेतु संपूर्ण प्रक्रियागत कार्यवाही पूर्ण कर गुणावगुण पर निर्णीत किये जाने हेतु रिमाण्ड करना उचित समझता हूँ।

लिहाजा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, गडरारोड़ द्वारा राजस्व वाद संख्या 09 / 2021 बउनवान सांगसिंह बनाम कमलसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.07.2024 को अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर देकर, वाद एवं जबावदावे के आधार पर तनकीयात कायम करते हुए एवं विधि सम्मत विवेचन करते हुए सभी पक्षकारों उपस्थिति में गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के लौटाया जावे।

19/8/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 19.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/8/2025

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर